"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2009—चैत्र 13, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

क्रमांक एफ 1-1/2009/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, लोक सभा आम चुनाव, 2009 के सिलसिले में गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को मतदान के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-1/2009/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, लोक सभा आम चुनाव, 2009 के सिलसिले में यह भी घोषित करता है कि गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को मतदान के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2009

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10-2-2009 द्वारा स्वीकृत लघुकृत अवकाश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 4 फरवरी, 2009 से 6 फरवरी, 2009 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन-भत्तों सहित लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 27-02-2009 से 28-02-2009 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 06-03-2009 से 07-03-2009 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2009/29.—छ. ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1651/663/21-ब/छ. ग./2009, दिनांक 02-03-2009 द्वारा श्री अशोक कुमार पाठक, प्रथम श्रेणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की सेवाएं छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अशोक कुमार पाठक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/एफ 1/36/दो गृह/भापुसे/2001.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-03-2009 के पैरा 5 में उल्लेखित "डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे" के स्थान पर "श्री जी. पी. सिंह, भापुसे" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखारे, अवर सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक/एफ 1-1/2007/9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक तथा लिपिक वर्गीय) सेवा के सदस्यों की भरती तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय तथा कार्यपालिक) सेवा भरती नियम, 2008 है.

   (2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—
   (क) सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, विभागाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण विभाग, या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा, सेवा के लिए, सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या उसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाएं ;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति/चयन समिति ;

   (ग) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ङ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय तथा कार्यपालिक) सेवा ;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न अनुसूची ;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों.

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :—** सेवा का वर्गीकरण, उसके संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भरती का तरीका :—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों;

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाई गई प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ;

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी वि

कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के लिये उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किया जाये.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किए जा सकेंगे तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी जो इन मापदंडों के अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी.

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू रहेंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें** — प्रतियोगिता परीक्षा/चयन में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु :—**

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्षों तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थाई रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन के लिये, अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व से की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो, और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त किया गया हो ;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :—
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक ;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छ: मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के उच्चतर जाति के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव सम्मान, वीर हनुमान सिंग सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल/परिषद के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाये गये हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पूर्व अथवा पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

टिप्पणी- (2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(ञ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं :—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(3) **फीस :—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता :—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :—** परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. **सीधी भर्ती :—**प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :—

(एक) प्रतियोगी परीक्षा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जायेगी.

(दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों, ऐसे अंतरालों से की जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती—

(एक) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए एक समिति होगी जिसमें पदोन्नति द्वारा चयन हेतु गठित समिति के समतुल्य सदस्य होंगे.

(दो) चयन समिति का नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जायेगी.

(3) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनायें रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा.

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा, सक्षम प्राधिकारी सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—**

(1) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की चयन समिति अवधारित करें योग्यता क्रम में क्रमांकित सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हें, प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, तैयारी करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. **खेल अधिकारी के पद पर लिपिक वर्गीय संवर्ग से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिपिक वर्गीय संवर्ग से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से खेल अधिकारी के 20 प्रतिशत पद अनुसूची-दो में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संचालनालय/मैदानी कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों में से भरे जाएंगे.

(2) नियम 11 के उपनियम (2) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखी जायेगी.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हैं चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट योग्यता के गुणानुक्रम तथा मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों में जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह न हो किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, की एक सूची तैयार की जायेगी. यह सूची अंतिम रूप से तैयार करने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी.

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्रदत्त नहीं होता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे, परंतु इस उप नियम में समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतराल से किया जायेगा जो सामान्यतया एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार रोस्टर लागू होगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी.

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :—**

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची चार के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट किया गया है पूर्ण कर ली हो, तथा जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण :— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :—संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जावेगी, जिसमें लोक सेवक फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और सेवा के फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :—**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत को मिलाकर एक आरक्षित सूची होगी जो उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए भी प्रस्तावित होगी.

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार चयन सूची के तैयारी के समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. **चयन सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शाये गए पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यत: एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी, जब तक कि नियम 16 उपनियम 4 के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित न कर दी जाए, परन्तु इसकी विधि मान्यता इसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी.

यदि कोई व्यक्ति जिसका चयन सूची में नाम हो, कर्त्तव्य की अवहेलना करते हुए या आदेश की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, राज्य सरकार के निर्देश पर, चयन सूची के पुनर्विलोकन के लिए विचार किया जा सकता है. यदि यह विचार किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम सूची से मिटाया/हटाया जाना है तो उस पर विचार किया जाएगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची में सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा :—**सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं.

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी.

23. **निरसन :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्‌द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतनमान			टिप्पणी
				प्रारंभिक वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतनमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वरिष्ठ खेल अधिकारी	3	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	5500-175-9000	-	-	विभाग के संभागीय खेल अधिकारी पद को विभागीय सेटअप में वरिष्ठ खेल अधिकारी के रूप में स्वीकृत किया गया है. अत: संभागीय खेल अधिकारी पद को वरिष्ठ खेल अधिकारी पढ़ा जाए.
2.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	—तदैव—	5000-150-8000	-	-	
3.	खेल अधिकारी (मैदानी)	13	—तदैव—	5000-150-8000	6500-10500	8000-13500	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/07/0-3, दिनांक 11 फरवरी, 2008 के स्तम्भ 5 में उक्त वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के निर्देश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, 28 अप्रैल, 2008 के स्तम्भ 6 एवं 7 में उक्त उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है. विभाग के जिला खेल अधिकारी पद को विभागीय सेटअप में खेल अधिकारी पद के रूप में स्वीकृत किया गया है. अत: जिला खेल अभिकारी [illegible] को खेल अधिकारी पढ़ा [illegible].
4.	प्रशिक्षक	8	—तदैव—	4500-125-7000	5500-9000	6500-10500	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/7/0-3, दिनांक 11 फरवरी, 2008 के स्तम्भ 5 में उक्त वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, 28 अप्रैल, 2008 के स्तम्भ 6 एवं 7 में उक्त उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	वाहन चालक	1	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	4000-6000	4500-7000	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/7/0-3, दिनांक 11 फरवरी, 2008 के स्तम्भ 5 में उक्त वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, 28 अप्रैल, 2008 के स्तम्भ 6 एवं 7 में उक्त उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है.
6.	शीघ्रलेखक	2	राजपत्रित (लिपिक वर्गीय)	4500-125-7000	5500-9000	6500-10500	—तदैव—
7.	आडिटर	2	—तदैव—	4000-100-6000	-	-	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/07/0-3, दिनांक 11 फरवरी, 2008 के स्तम्भ 5 में उक्त वेतनमान स्वीकृत किया गया है.
8.	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	1	—तदैव—	4000-100-6000	-	-	
9.	सहायक ग्रेड-2	3	—तदैव—	4000-100 6000	-	-	
10.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	1	—तदैव—	3500-80-4700-100-5200	4000-6000	4500-7000	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, 28 अप्रैल, 2008 के स्तम्भ 6 एवं 7 में उक्त उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है.
11.	सहायक ग्रेड-3	18	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	4000-6000	4500-7000	—तदैव—

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा [देखिए नियम-6 (1) (क)]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम-6 (1) (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [देखिए नियम-6 (1) (ग)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खेल एवं युवा कल्याण	अराजपत्रित कार्यपालिक				
	1. वरिष्ठ खेल अधिकारी	3		100%	
	2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1			कोष एवं लेखा सेवा से 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. प्रशिक्षक	8	100%		
	4. खेल अधिकारी (मैदानी)	13	80% 20% पद लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से अनुसूची-पांच में दर्शायी योजना के अंतर्गत भरे जायेंगे. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी में अपेक्षित संख्या उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी.		
5.	वाहन चालक	1	100%		
	अराजपत्रित लिपिकवर्गीय				
	1. शीघ्र लेखक	2	100%		
	2. आडिटर	2	-	100%	
	3. लेखापाल	1	-	100%	
	4. सहायक ग्रेड-2	3	-	100%	
	5. डाटाइंट्री आपरेटर	1	100 प्रतिशत पद लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो अनुसूची-पांच में दर्शायी गई अर्हता पूर्ण करते हों. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी.		
6.	सहायक ग्रेड-3	18	75%	25% पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे जो विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो.	

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतर आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)
खेल एवं युवा कल्याण	अराजपत्रित कार्यपालिक			
	1. प्रशिक्षक	21	35	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एन. आई. एस. डिप्लोमा
	2. खेल अधिकारी (मैदानी)	21	35	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. वाहन चालक	18	35	1. पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये. 2. भारी तथा हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो.
	अराजपत्रित लिपिकवर्गीय			
	1. शीघ्रलेखक	18	35	1. पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा हाईस्कूल परीक्षा (10+2 प्रणाली) उत्तीर्ण होना चाहिये या भर्ती नियम में नियत पात्रता या छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की एक वर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये. 2. छत्तीसगढ़ मंडल शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त मंडल से हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ एवं हिन्दी शीघ्रलेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ होना चाहिये या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाइन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटाइन्ट्री का 5000 की "डिप्रेशन" प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है.
	2. डाटाइंट्री आपरेटर	21	35	1. पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा हाईस्कूल परीक्षा (10+2 प्रणाली) एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिये. 2. डाटाइन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है.
	3. सहायक ग्रेड-3	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय अथवा भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा प्रणाली) अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा या छ. ग. सेकेण्डरी परीक्षा मंडल के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये. 2. छत्तीसगढ़ मंडल शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त मंडल से हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ एवं हिन्दी शीघ्रलेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिये या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाइन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र के साथ डाटाइन्ट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है.

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खेल एवं युवा कल्याण	अराजपत्रित कार्यपालिक 1. खेल अधिकारी (मैदानी)	वरिष्ठ खेल अधिकारी	5 वर्ष	1. उप संचालक - अध्यक्ष 2. सहायक संचालक - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य
	अराजपत्रित लिपिक वर्गीय 1. लेखापाल	आडिटर	5 वर्ष	1. उप संचालक - अध्यक्ष 2. सहायक संचालक - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य
	2. सहायक ग्रेड-2	लेखापाल	5 वर्ष	1. उप संचालक - अध्यक्ष 2. सहायक संचालक - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य
	3. सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	1. उप संचालक - अध्यक्ष 2. सहायक संचालक - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य

अनुसूची-पांच
(नियम 13 देखिए)

लिपिक वर्गीय संवर्ग खेल अधिकारी के चयन के लिये प्रतियोगिता परीक्षा योजना

1. **शीर्षक :—** इस योजना का संक्षिप्त नाम खेल एवं युवा कल्याण, संचालनालय तथा मैदानी कार्यालयों के लिपिक वर्गीय से तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवाओं के लिए चयन से सीधी भर्ती की योजना है. .

2. **पात्रता :—** लिपिक वर्गीय संवर्ग/सेवाओं के सदस्य, जिनके पास पात्रता हेतु निम्नलिखित अर्हताएं हो, अर्थात् :—

   (1) जो किसी खेल एवं युवा कल्याण, संचालनालय तथा मैदानी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय सेवा संवर्ग में पिछले पांच वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हो.

   (2) उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो एवं कम से कम विश्वविद्यालय स्तर या इससे उच्चस्तर पर किसी खेल में भाग लिया हो.

   (3) उसने चयन के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिलनीय होगी.

3. **चयन :—** नियुक्ति हेतु चयन निम्न आधार पर की जायेगी :—

   (1) इस योजना के अधीन संचालित की जाने वाली परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंकों के आधार पर ; और

   (2) पिछले पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा.

4\. (एक) लिखित परीक्षा, प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीखों तथा ऐसे स्थानों पर संचालित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये.

(दो) लिखित परीक्षा में ढाई घंटे की कालावधि के प्रत्येक 50 अंक के दो प्रश्नपत्र होंगे, इस परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करने होंगे.

(तीन) प्रश्नपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जायेंगे और उनमें निम्नलिखित विषय होंगे :—

प्रश्नपत्र प्रथम :— सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंकगणित

प्रश्नपत्र द्वितीय :—

(एक) सरकारी सेवा के सामान्य नियम.

(दो) विभाग में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ज्ञान.

(तीन) अधिनियम, नियमों, उपविधियों, निर्देशिका आदि, जिनके अनुसार विभाग में कार्य होता है.

(चार) प्रश्नपत्रों के लिए पाठ्यक्रम के ब्यौरे, जैसे कि संलग्न उपाबंध में लिखित में है.

(पांच) ऐसा अभ्यर्थी, जो पात्रता पूरी करता हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों से, जो परीक्षा में प्रवेश की वांछा रखते हों, परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आवेदन आमंत्रित करेगा. ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र पाये जायें, परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय आदि की सूचना दी जायेगी. शारीरिक स्वस्थता के संबंध में सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र जहां कार्यरत/पदस्थ हो, ग्रहण किया जायेगा.

(छ:) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें.

(सात) ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अभिप्राप्त करेंगे, एक सूची तैयार की जायेगी.

5\. **चरित्रावलियों का मूल्यांकन तथा चयन की अंतिम सूची :—**

(1) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति, उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम पैरा 4 (7) के अधीन तैयार चयन सूची में है, पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन करेगी.

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की गोपनीय चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे :—

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा	-	20
अच्छा	-	15
साधारण	-	10

(3) गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर अभिप्राप्त किये गये अंकों, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किये गये अंकों के सामने लिखे जायेंगे और दोनों अंकों को जोड़ा जायेगा.

(4) अंतिम चयन सूची, परीक्षा में अभिप्राप्त किये गये अंकों तथा गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जायेगी. कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी पदों) के 20 प्रतिशत कोटे के सामने नियुक्ति सूची में आए उनके नामों के क्रम में की जाएगी.

(5) लिपिकवर्गीय संवर्ग से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों की पारम्परिक वरिष्ठता, अंतिम सूची में दर्शाये गये अनुसार होगी.

6. **परिवीक्षा :—** इस योजना के अधीन नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा. इस कालावधि के दौरान, कर्मचारी को उस पद का प्रशिक्षण दिया जाएगा और यदि कोई विभागीय परीक्षा विहित की गई है तो उसे उत्तीर्ण करना होगा. यदि किसी कर्मचारी का व्यवहार परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके लिपिकीय संवर्ग के पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा. कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी) पद की परिवीक्षा कालावधि के दौरान की गई सेवाओं की गणना, लिपिकीय संवर्ग/सेवा में की गई सेवा के रूप में की जायेगी.

उपाबंध

प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-1

1. सामान्य ज्ञान (15 अंक)
सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा सुसंगत घटनाएं, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित सुसंगत प्रश्न (तीन प्रश्न).

2. सामान्य हिन्दी (15 अंक)
10-12 पंक्तियों की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न समान शब्दों के अर्थ में भिन्नता तथा किसी निर्धारित विषय पर 150 शब्दों में निबंध.

3. प्रारंभिक गणित (20 अंक)
गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली में भिन्न, प्रतिशत, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, औसत अनुपात

प्रश्नपत्र-2

1. सेवा नियमों तथा आचरण नियमों का ज्ञान (20 अंक)
(वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, यात्रा, चिकित्सीय इत्यादि)

2. विभाग में प्रचलित शब्दावली का ज्ञान (15 अंक)
विभाग में सामान्य रूप से प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का ज्ञान

3. उन अधिनियमों, नियमों आदि का ज्ञान जो विभाग द्वारा शासित होता है (15 अंक)

टिप्पणी :— 1. यदि विभाग वांछा करता है तो प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार किए जा सकेंगे. इस संबंध में विज्ञापन में पूर्वतर सूचना दी जानी चाहिए कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धति के आधार पर संचालित की जाएगी.

2. उपर्युक्त पाठ्यक्रम विवरणात्मक है. विभाग अपनी आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन के लिए प्राधिकृत होगा.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक/एफ 1-1/2007/9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 1-1/2007/9, दिनांक 16-1-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

Raipur, the 16th January 2009

No. F 1-1/2007/9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, regulating to the recruitment of the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-III Non Gazetted (Ministerial and Executive) Service, namely :—

RULES

1. Short title and Commencement- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-III Non Gazetted (Ministerial and Executive) service, Recruitment Rules, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires ;-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means head of Department, Sports and Youth Welfare are such authority to whom powers of appointment to the service, service or post has been or may hereafter be delegated by the Government;

(b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee / Selection Committee;

(c) "State" means the State of Chhattisgarh;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Service" means the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-III Non Gazette (Ministerial and Executive) Service;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Scheduled" means the Schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Schedule Tribe" means the Scheduled Tribes specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification number F-8-5-XXV-4-84, date 26th December, 1984 as amended from time to time.

3. **Scope and Application** -Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service;

4. **Constitution of Service** - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively /officiating the posts specified in Schedule-I;
(b) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc** - The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I;

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

6. **Method of Recruitment** - (1) Recruitment to the service, after the Commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By Direct recruitment, by competitive examination/interview;
(b) By promotion;
(c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive/ officiating capacity in such posts in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage mentioned in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject of the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with prior Concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other that those specified in the said sub-rule as it may, be order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled by direct recruitment, government would lay the specifications for the selection on merit basis otherwise and or Appointing Authority shall be constitute a selection committee that shall adopt the standards laid down or adopt any other rational specifications accepted as per the consent of the government.

(6) The provisions of Chhattisgarh Civil Services (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 shall apply.

7. **Appointment to the service-** All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment -** In order to be eligible to compete/ selection at the examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age -** (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the First Day of January next following the date of commencement of the examination/selections;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of five years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation.- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation-The "term Ex-service-man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
   (a) Completion of short term engagement,
   (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground the they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc;

(e) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of two years for those candidates, who are holding Green Cards under Family Welfare Programme;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Shahid Kaushal Yadav Award, Veer Hanuman Singh Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award, National Youth Award holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards/Council

(i) The upper age limit shall b relax able for voluntary Home Guards and non-Commissioned Offi ers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

Note: 1: Candidates who are found eligible for selection under age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application. Age limit shall not be relaxed in any other case.

Note: 2: Departmental candidates must obtain prior permission of their appointing authority to appear for the examination/selection.

(j) The directions regarding age limit, issued from time to time by the General Administration Department of Government shall also be applicable.

(2) Educational Qualification: The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) Fees: The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualification-Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.

10. Appointing authority decision regarding eligibility of candidates shall be final.- The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct Recruitment-Direct recruitment by competitive examination or interview -

(1) (i) The competitive examination shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders as may be issued by the Government from time to time.

(ii) Competitive examination or Interview or both for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority determine from time to time.

(2) **Selection by direct recruitment** – (i) There shall be a committee for selection by direct recruitment in which membership will be similar to committee for selection by promotion .

(ii) The Appointing Authority will decide the name of the selection committee from time to time.

(3) At time of recruitment in the service the promotion of the Chhattisgarh Public Service (schedule castes, schedule tribes and backward classes reservation) Act 1994 (No.21 of 1994) and direction issued under the act by General Administration Department of Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) Reservation for women candidates shall be applicable as per provision of Chhattisgarh Civil Service (Special provision for appointment of women) Rules 1997.

(7) If a sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Appointing Authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes available in sufficient number, the competent authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with State Government.

12. List of Candidates recommended by the Selection Committee:-(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the appointing authority arranged in order or merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standard but are declared by the committee to be suitable for appointment in the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall send to the Appointing Authority. The list shall also be published for general public information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961. Candidates will be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order, in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list, confers no right for the appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as it may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the committee.

13. Direct recruitment by way of marginal competitive examination from clerical cadre to the post of Sports Officer :- (1) According to the procedure mentioned in schedule-II, 20 percent post of Sports Officer will be filled from the clerical cadre employce, posted in Directorate/field offices, by the appointing authority through the marginal competitive examination.

(2) There shall be reserved post for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per Rule 11 sub rule (2).

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order, in which their names appear in the referred to in Rule 12, irrespective of their relative rank in comparison to other candidates.

(4) The list of qualified candidates as per merit and standard specified in Schedule-V and the list of those candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who are not qualified as per standard but to whom the appointing authority has declared suitable for appointment in the service keeping in view the maintenance of efficiency in the administration shall be prepared. The list shall remain effective finally for one year from the date of its preparation.

(5) Subject to the provisions of these rules, the candidates will be considered in respect of appointment on the available vacancies in the order, in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of name of any candidate in the list confers no right to the appointment, unless the appointing authority is satisfied after such enquiry, as it may deem necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

14. Appointment by Promotion - (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates: but in the sub rule for formation of the committee, provisions of Chhattisgarh Public Service (schedule castes, schedule tribes and backward classes reservation) Act 1994 (No.21 of 1994) section 8 conditions shall be followed.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Roster shall be applicable in accordance with the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion to reserved vacancies will be accordance with the direction issued by Government in the General Administration Department from time to.

15. Conditions relating to eligibility for promotion/transfer - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all those persons, who as on the First Day of January of that year had completed such number of years of service, whether officiating or substantive in the posts from which promotion is to be made or any other post or pots declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule IV and are within the Zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

Explanation: The process of calculation of eligibility for the promotion: The eligibility service period would be considered or calculated from the First of January in the calendar year in which the departmental promotion committee/probe committee has been called, in which the public service feeder category/part of service/the pay scale

against the post shall be considered not on the date from which the candidate has being given the pay scale of public service feeder category/part of service.

16. Preparation of list of Suitable Candidates - (1) The promotion committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule-15 as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said selection list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provision of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) The names of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each selection list of Chhattisgarh Civil Service (General conditions of Service) Rule 1961.

Explanation.-The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be inforcc for a period of one year, until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

If any person finds name in the selection list is found to be have been indulging in dereliction of duty or not following the order, on the directive of State Government, the select list can be considered for revision. If it is considered that the name of such person is to be deleted/removed from the list, it shall be considered.

18. Appointment in the Service from the Select List - (1) The provisions of Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules 2003 shall apply for appointment against the service category posts from the select list.

(2) Generally, the person, whose name has been included in the select list, the consultation with the committee is not required before appointment till the name has not been included in the select list but if appointing authority feels that during period between just before being included in the select list and the proposed appointment date, the person has done some work renders him unfit for the appointment.

19. Probation:- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation:-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation:- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable, provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him than that provided in these rules.

22. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal:-All rules corresponding to these and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repeated shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of Service, Pay and number of the Posts included in the Service

S.No.	Name of the Post Included in the service	Number of post	Classification post	Pay Scale			Remark
				Initial Pay Scale	First Upgradetion	Second Upgradetion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Senior Sports Officer	3	Non Gazette (Executive)	5500-175-9000	-	-	The Divisional Sports officer post of department has been sanctioned as Senior Sports officer in the departmental setup. Therefore, the Divisional Sports Officer post should be read as Senior Sports Officer.
2	Junior Account Officer	1	-do-	5000-150-8000	-	-	-
3	Sports Officer (Field)	13	-do-	5000-150-8000	6500-10500	8000-13500	General administration department of Government of Chhattisgarh order number F 10-2/07/0-3, dated 11 February 2008 in column 5 as mentioned has sanctioned the said pay-scale and Finance and Planning department of Government of Chhattisgarh order number 97/107/Finance/rule/Four/2008, 28 April 2008 in column 6 and 7 has sanctioned the said upgraded pay scale. District Sports Officer post of the department has been sanctioned as Sports officer in the set up. Therefore, district sports officer post should be read as sports officer.
4	Coach	8	-do-	4500-125-7000	5500-9000	6500-10500	General Administration Department of Government of Chhattisgarh order number F 10-2/-7/0-3, dated 11 February 2008 in column 5 as mentioned has sanctioned the said pay-scale and Finance and Planning department of Government of Chhattisgarh order number 97/ 107/ Finance/ rule/Four/2008, 28 April 2008 in column 6 and 7 has sanctioned the said upgraded pay scale.
5	Driver	1	-do-	3050-75-3950-80-4590	4000-6000	4500-7000	-do-
6	Steno	2	Non Gazette (Clerical Cadre)	4500-125-7000	5500-9000	6500-10500	-do-
7	Auditor	2	-do-	4000-100-6000	-	-	General administration department of Government of Chhattisgarh order number F 10-2/07/1-3, dated 11 February 2008 in column 5 as mentioned has sanctioned the said pay-scale.
8	Accountant (Account Exam passed)	1	-do-	4000-100-6000	-	-	-
9	Assistant Grade-2	3	-do-	4000-100-6000	-	-	-
10	Data Entry Operator	1	-do-	3500-80-4700-100-5200	4000-6000	4500-7000	Finance and Planning department of Government of Chhattisgarh order number 97/107/Finance/rule/Four/2008, 28 April 2008 in column 6 and 7 has sanctioned the said higher pay scale.
11	Assistant Grade-3	18	-do-	3050-75-3950-80-4590	4000-6000	4500-7000	-do-

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Name of the department	Post of Service	Total No. of Post	Percentage of the posts to be filled in		
			By direct recruitment [see rule 6(1) (a)]	By promotion of the members of the service [see rule 6 (1) (b)]	By transfer/deputation of the persons of other services [see rule 6(1) (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sports and Youth Welfare	**Non Gazette Executive**				
	1. Senior Sports Officer	3	--	100 %	--
	2. Junior Account Officer	1	--	--	100 percent on depuration, from Treasury and Accounts Service
	3. Coach	8	100%	--	
	4. Sports Officer (field)	13	80% 20% post will be filled from the clerical cadre employee fulfilling the eligibility as indicated in Schedule-5. If the required number of suitable candidates is not available from clerical cadre, then the posts shall be filled by direct recruitment.	--	
	5. Driver	1		--	--
	Non Gazette Clerical Cadre				
	1. Stenographer	2	100%	--	
	2. Auditor	2		100%	
	3. Accountant	1		100%	
	4. Assistant Grade-2	3	100%	100%	
	5. Data Entry Operator	1	--		
			--		
			--		
	6. Assistant Grade - 3	18	100 percent post will be filled from the clerical cadre employee fulfilling the eligibility as indicated in Schedule-5. If the required number of suitable candidates is not available from clerical cadre, then the posts shall be filled by direct recruitment. 75%	20% post shall be filled by the appointment of Class-IV employee, having completed five years of regular service in department and have passed High School Exam through 10+2 method or old Higher Secondary Examination.	

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of the Department	Name of the Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Education Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sports and Youth Welfare	**Non Gazette Executive**			
	1. Coach	21	35	N.I.S. Diploma from any recognized Institution
	2 Sports Officer (Field)	21	35	Bachelor Degree of Physical Education from any recognized University.
	3 Driver	18	35	1. Must have passed Middle School examination. 2. Holder of Light and heavy vehicle driving license.
	Non Gazette Clerical Cadre			
	1. Stenographer	18	35	1.Must have passed old Higher Secondary examination or High School exam (10+2 system) or passed the first year examination of graduation syllabus from Board of Secondary Education C.G. or University or eligibility as fixed in the recruitment rule 2.Certificate of Hindi Typing with speed of 25 words per minute and Hindi Stenography with speed of 60 words per minute from Board of Chhattisgarh Stenography and Typing examination or from any other recognized Board or one year diploma in data entry operator/programming certificate with data entry of 5000 key depression per hour speed from government recognized institution.
	2. Data Entry Operator	21	35	1. Must have passed old Higher Secondary examination or High School exam (10+2 system) and three year Bachelor Degree from any recognized University. 2. One Year Diploma in data entry operator/ programming in computer from government recognized institution. The data entry speed in Hindi and English should be depression of 8000 key per hour..
	3. Assistant Grade-3	18	35	1. Must have passed High School examination (10+2 education system) or old Higher Secondary examination or equivalent examination from Board of Secondary Education C.G. or any recognized Board/University or eligibility as per the recruitment rules. 2. Certificate of Hindi Typing with speed of 25 words per minute and Hindi Stenography with speed of 60 words per minute from Board of Chhattisgarh Stenography and Typing examination or from any other recognized Board or one year diploma in data entry operator/ programming certificate with data entry of 5000 key depression per hour speed from government recognized institution.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Minimum service period	Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sports and Youth Welfare	**Non Gazette Executive**			
	1.Sports Officer (Field)	Senior Sports Officer	5 Year	1. Deputy Director-Chairman 2. Assistant Director-Member 3. Administrative Officer-Member
	Non Gazette Clerical Cadre 1.Accountant	Auditor	5 Year	1.Deputy Director-Chairman 2.Assistant Director-Member 3.AdministrativeOfficer-Member
	2.Assistant Grade-2	Accountant	5 Year	1.Deputy Director-Chairman 2.Assistant Director-Member 3.Administrative Officer-Member
	3.Assistant Grade-3	Assistant Grade-2	5 Year	1.Deputy Director-Chairman 2.Assistant Director-Member 3.Administrative Officer-Member

SCHEDULE-V
(*See* Rule-13)

SCHEME OF COMPETITIVE EXAMINATION FOR SELECTION TO SPORTS OFFICER FROM CLERICAL CADRE

1. **Title: -** This scheme shall be called the scheme for recruitment through selection for class-III (executive) services from the clerical cadre of the Directorate and its field offices of the Sports and Youth Welfare.

2. **Eligibility :-** Members of the clerical cadre category/services, having the following qualifications for eligibility, namely :-

   (1) continuously working in the Directorate of Sports and Welfare and its field offices for the last five years in the clerical cadre service.

   (2) He must hold bachelor degree from a recognized University and participated in any sports at least at University level or higher level.

   (3) He must not have attained the age of more than forty five years on the 1st day of January on the year of selection. The maximum age limit for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes shall be relaxed.

3. **Selection :-** Selection for appointment shall be made on the basis of :-

   (1) on the basis of marks obtained by the successful candidate in the examination conducted under this scheme; and

   (2) on basis of valuation of last five years character roll.

4. **Examination:-** (i) Written examination shall be conducted every year on such dates and place as specified/determined by the Appointing Authority.
   (ii) There shall be two papers each carrying 50 marks and would be held for 2 ½ hours. To be successful in this examination, candidates have to secure minimum 50 percent marks in each paper separately.
   (iii) Question Papers shall be prepared by the Appointing Authority, and there shall be the following subjects:-

   First question Paper:- General knowledge, General Hindi and Elementary Mathematics.

   Second question Paper:
   (1) General rules of Government service.
   (2) Knowledge of words generally used in the department.
   (3) Act, rules, byelaws, manual etc., according to which the department functions.

(4) Details of the Syllabus for question papers in written in the enclosed annexure.

(5) The candidate shall be eligible for admission for the examination, if fulfills the eligibility. The Appointing Authority shall invite applications from the candidates eligible for the examination, for which he would invite applications minimum one month before the date fixed for examination. Candidates found to be eligible for admission in the examination shall be informed about the date, place and time etc. of the examination. (In regard to physical fitness, the certificate of the civil surgeon, where the candidate is working/posted, shall be admitted.

(6) Answer books shall be valuated by the officers of that department nominated by the Appointing Authority.

(7) List of such candidates having obtained 50 percent minimum marks or more in each question paper shall be prepared.

5. Valuation of character rolls and final list of selection :

(1) The departmental promotion committee constituted as specified in Schedule-IV shall evaluate the character rolls for the last 5 years of the candidates whose names exists in the selection list prepared under para - 4 (7).

(2) Every candidate shall be given marks, on character roll of each year. Out of 20 marks, the marking shall as follow:-

Outstanding/very good	:	20
Good	:	15
Average	:	10

(3) Marks obtained on the basis of valuation of character rolls shall be written in front of the marks obtained in the written examination by each candidate and both the marks shall be added.

(4) The final selection list shall be prepared on the basis of marks obtained in the examination and valuation of the character rolls. Against 20 percent quota for the Executive (Class-III posts) appointment shall be made in order of their names as appear in the list.

(5) Employees appointed in the class-III executive post from the clerical cadre, their mutual seniority shall be as shown in the final list.

6. Probation: - Every employee appointed under this scheme shall be appointed on two years probation. During this period. training of that post will be given and candidates have to clear, if any departmental examination is prescribed. If any employee is not found proper during the period of probation for the class-III executive post, he shall be reverted to his previous post of clerical cadre. Services rendered during the probation period executive (Class-III) post shall be counted as service rendered in the ministerial cadre/service.

ANNEXURE
SYLLABUS OF QUESTION PAPERS

QUESTION PAPER-1

1. **General knowledge : (15 MARKS)**
   Current events, History of India, Geography of India and relevant incidents. Relevant question regarding general information in respect of Chhattisgarh (Three questions).

2. **General Hindi : (15marks)**
   Short questions on the basis of summary of 10-12 lines, Variability in the meaning of similar words and Essay of 150 words on the decided subject.

3. **Elementary Mathematics : (20 marks)**
   Multiplications, Divisions, Fraction in decimal system, Percentage, Average, Area, Volume, Average-ratio.

QUESTION PAPER-2

1. **General knowledge of service rules and conduct rules: (20marks)**
   (Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, Traveling, Medical, etc.)

2. **Knowledge of Terminology prevalent in the Department : (15marks)**
   Knowledge of various words generally used in the department.

3. **Knowledge of Acts, rules, etc. government by the department:(15 marks)**
   Note :- 1. If the department desires, the question paper may be prepared objective type basis. In this regard. Earlier information shall be given in the advertisement that the examination shall be conducted on the basis of objective type.

   2. Thc aforesaid syllabus is descriptive. The department shall have the authority to amend it according to the requirement.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 मार्च 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/1 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	मुढ़ेना प. ह. नं. 144/91	0.83	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 6 मार्च 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	घुचापाली प. ह. नं. 118/65	0.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	चंडी डोंगरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 23 अ-82/वर्ष 08-09.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डंगनिया प. ह. नं. 104	153/3	0.340	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग क्र. 1, रायपुर.	सार्वजनिक उपयोग (पार्क निर्माण) हेतु भू-अर्जन.
		योग	1	**0.340**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	धनरास	78.681	उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीकला	7.419	उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	चोरभट्टी	5.648	उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	पुरेनाखार	5.785	उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-बिलासपुर
   (ग) नगर/ग्राम-फरहदा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	40/14	0.70
	40/15	0.05
योग	2	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिल्हाटी गतौरा मार्ग पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.256 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	350/3	0.020
	350/4	0.020
	351/4	0.089
	350/1	0.033
	351/5	0.020
	351/2	0.065
	349/9	0.327
	348	0.049
	302/1	0.122
	350/2	0.032
	351/3	0.057
	352/2	0.110
	346/5	0.028
	351/6	0.045
	352/3	0.093
	301/489	0.045
	302/5	0.024
	352/1	0.077
योग	18	1.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सहसपुरी, धनगांव मार्ग के किलोमीटर 2/4 पर माण्ड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कपिस्दा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.661 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206/2	0.020
224/2	0.040
206/1	0.036
207/2	0.020
207/3	0.045
207/15	0.024
207/13	0.020
207/9	0.053
207/11	0.045
207/7	0.045
207/6	0.040
208/6	0.061

(1)	(2)
207/5	0.061
214/4	0.024
222/1	0.081
218/2	0.061
205/7	0.057
223/1	0.073
224/1	0.008
223/2	0.04
205/2	0.036
208/1	0.061
222/1 ख	0.085
208/7	0.061
213/1	0.162
214/1	0.024
222/1 क	0.045
218/1	0.061
220/2	0.065
208/3	0.061
214/3	0.024
220/1 क	0.061
220/1 ख	0.061
योग	1.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लातनाला सेतु पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 नवम्बर 2008

क्रमांक/133/भू-अर्जन/अ. वि. अ./04/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मालीडीह, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398	0.08
409	0.04
418	0.04
398	0.01
411	0.01
420	0.01
398	0.04
411	0.01
425	0.01
398	0.06
414	0.03
429	0.03
398	0.04
416	0.01
430	0.01
योग 15	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कौआझार पिस्दा लहंगर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक/27/अ. वि. अ./भू-अर्जन/6 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-धनसुली, प. ह. नं. 131

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	834	0.07
	836	0.07
	837	0.15
	843	0.14
	896	0.02
	895	0.07
	892	0.03
	891	0.05
	887	0.17
	899	0.04
	910	0.12
	909	0.09
योग	12	1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धनसूली जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 13 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-सेंद्रीपाली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.587 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/4	0.405
73/5	0.113
73/6	0.494
184/6	0.202
185	0.223
186/2	0.486
187/2	0.081
187/3	0.243
188/2	0.518
190/1 ग/1	0.745
190/1 ग/2	0.740
190/1 ग/3	0.538
190/1 ग/4	0.202
190/1 ज/1	0.405
190/1 ज/2	0.081
190/1 छ	0.615
190/1/झ	0.769
190/2	0.117
190/3	0.417
190/4	0.097
190/5	0.105
190/6	0.040
190/7	0.040
191/5	0.671
192/1	0.417
192/2	0.352
195/1	0.243
195/2	0.101
201/1	0.202
201/2	0.218
239/1	0.841
240	0.607

(1)	(2)
241/1/घ	0.259
योग	11.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धौराभाठा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
461/1	0.101
461/2	0.024
461/3	0.024
461/4	0.097
462/4	0.064
योग	0.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धौराभाठा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-धनरास, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-78.681 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.081
8/3	0.081
13/1	0.040
13/2	0.028
13/3	0.040
13/4	0.047
13/5	0.040
13/6	0.081
13/7	0.101
13/8	0.040
13/9	0.061
13/10	0.202
13/11	0.049
13/12	0.040
13/13	0.061
14/1	0.081
14/2	0.081
14/3	0.105
14/4	0.101
15/2	0.040
15/3	0.146
15/5	0.040
15/6	0.040
16/6	0.162
17/1	0.049
17/2, 18	0.445

(1)	(2)
17/3	0.049
17/4	0.291
17/5	0.243
19	0.202
22	0.219
36/1 क	0.113
36/1 ख	0.182
36/1 ग	0.283
36/1 घ	0.243
36/1 ङ	0.113
37/1	0.162
37/2	0.223
37/3	0.174
37/4	0.162
39/1, 40	0.757
39/2	0.065
39/3	0.065
44/1	0.113
44/2	0.142
46	0.101
48	0.012
49/2	0.121
49/3	1.698
50/1	0.243
50/2	0.283
51/1	2.043
51/2	0.324
54	0.065
55	0.045
56, 58/1	0.259
57/1	0.526
57/2	0.624
58/2	0.498
60/1	0.202
60/2	0.178
61	0.150
62	0.182
63	0.648
64	0.085
66/1	0.300
66/2	0.295
66/3	0.283
68	0.526
70	0.629
71	0.049
72	0.291
74	0.698
76	1.975
77	0.081
79	0.032
80/1	0.648
80/2	0.328
80/3, 81	0.356
82	0.267
83/1	0.016
88	0.514
95	0.113
96	0.166
97	0.291
98/1	0.032
98/2	0.032
98/3	0.032
99	0.008
100/1	0.668
102/1	0.081
104	0.210
105	0.539
106	0.069
107/1, 108/1	0.117
107/2, 108/2	0.057
107/3, 108/3	0.057
109	0.494
110	0.109
116	0.263
687/2	0.121
691, 692	0.165
712/1	0.235
713/1	0.462
714/1	0.210
715/1, 716/2	0.971
715/2	0.162
716/1	0.231
716/3	0.251
716/4	0.028
716/5	0.057
716/6	0.057
717	0.223
820	0.190
821	0.587
822	0.210
823	0.409
869/1	0.093
870	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
871	0.049	921/1	0.045
872	0.238	921/2	0.045
873	0.437	923	0.089
875	0.648	924/1	0.032
877	0.490	924/2	0.032
878, 879	0.470	924/3	0.028
880/1	0.012	925/1	0.081
880/2	0.012	925/2	0.085
880/3	0.012	926/2	0.081
880/4	0.012	927/1	0.150
880/5	0.012	927/2	0.154
880/6	0.150	927/3	0.061
881	0.129	927/4	0.008
882/1	0.109	928/1, 933	0.211
882/2	0.109	928/2	0.324
882/3	0.024	929	0.344
884	0.085	932	0.162
887	0.008	936	0.190
888	0.028	937	0.283
889	0.316	939	0.352
890	0.210	940/1	0.016
891/1	0.061	940/2	0.012
891/2	0.065	940/3	0.012
891/3	0.065	944	0.097
892	0.081	945	0.081
894	0.186	946	0.049
895/1	0.061	947	0.040
895/2	0.049	948/1	0.146
895/3	0.125	948/2	0.081
896	0.073	954/1	0.089
897/1	0.113	954/2	0.024
897/2	0.265	954/3	0.049
898/1	0.065	955/1	0.073
898/2	0.061	955/2	0.089
899	0.049	955/3	0.134
900/1	0.226	955/4	0.073
900/2	0.186	955/5	0.073
900/3	0.129	956	0.036
901	0.057	957/1	0.085
902/1, 903	0.186	957/2	0.040
902/2, 902/3, 905	0.324	957/3	0.004
902/4	0.271	957/4	0.049
916/1	0.049	957/5	0.024
916/2	0.040	959	0.012
916/3	0.057	961	0.190
917, 918	0.259	963/1	0.121
920	0.081	963/2	0.753

(1)	(2)
963/3	1.319
966	0.769
967/2	0.121
968, 967/1	0.457
969/2	0.405
972	0.040
973	0.008
974/1	0.121
974/2	0.202
974/3	0.121
974/4	0.158
975	0.057
976	0.024
977, 978	0.085
986/2, 990/1, 991/1	0.421
986/3, 987, 988	0.340
986/4, 990/2, 991/2	0.485
989	0.081
993, 994	0.595
995, 996, 997	0.284
999/1	0.061
999/2	0.049
999/3	0.049
1002	0.393
1003, 1004	0.470
1005/1, 1005/2	0.243
1008/1	0.049
1008/2	0.049
1008/3	0.024
1008/4	0.024
1009, 1010/2, 1012	0.616
1016	0.028
1022	0.154
1025	0.158
1026/1	0.101
1026/2	0.057
1026/3	0.057
1027	0.057
1028/1	0.183
1028/2	0.036
1028/3	0.036
1030/1	0.073
1030/2	0.077
1031	0.206
1034	0.150
1040	0.040
1043	0.336
1045	0.227
1048/1	0.405
1048/2	0.040
1048/3	0.121
1048/4	0.040
1048/5	0.057
1049/2	0.016
1050	0.483
1051	0.036
1052	0.065
1054, 1055/1	0.786
1055/2	0.261
1055/3	0.261
1056/1	0.364
1056/2	0.105
1058	0.182
1059/2	0.040
1060/2	0.012
1060/4	0.324
1062	0.397
1063	0.376
1064/2, 1067, 1068/1	0.893
1065	0.336
1066	0.202
1068/2, 1069, 1070, 1071, 1074/2, 1077	1.487
1073	0.012
1074/1	0.243
1075	0.024
1076	0.121
1078	0.526
1079	0.255
1080, 1081, 1082, 1087/2	0.566
1083/1, 1084	0.502
1083/2	0.113
1086	0.049
1087/1, 1088, 1089	0.081
1087/3	0.121
1087/4	0.121
1090/1	0.032
1090/2	0.032
1090/3	0.032
1092	0.032
1093/2	0.150
1093/2	0.040

(1)	(2)
1094	0.028
1097	0.129
1098/1	0.235
1098/2	0.344
1098/4	0.466
1098/5	0.170
1098/6	0.061
1100	0.186
1102	0.417
1103	0.028
1104, 1105, 1111	0.603
1106	0.372
1107, 1108, 1109	0.525
1114	0.202
1116	0.012
1117	0.028
1118	0.405
1120/1	0.295
1120/2	0.040
1120/3	0.129
1121	0.040
1122/2	0.040
1124, 1125	0.551
1127/1	0.304
1127/2	0.223
1127/3	0.121
1133/1	0.061
1133/2	0.057
1133/3	0.186
1133/7	0.283
1136/1	1.238
1136/2	0.951
1136/3	0.162
1136/4	0.162
1136/5	0.162
1136/6	0.162
1137	0.061
1140/1	0.178
1140/2	0.186
1140/3	0.202
1199, 1200/2	0.093
1200/1	0.101
1200/3	0.024
1203, 1204	0.239
1205/2	0.364
1206	0.081
1236/1	0.223
1236/2	0.364
1236/3	0.182
1330/1	0.065
1330/2	0.121
1330/3	0.049
1330/4	0.040
1330/5	0.101
1330/6	0.057
1330/7	0.121
1330/8	0.057
1330/9	0.113
1330/10	0.073
1330/11	0.053
1333/1	0.583
1333/2	0.097
1333/3	0.049
1345	0.053
1347/1	0.235
1347/2	0.219
1349	0.162
1350	0.190
1352	0.154
1355	0.413
1357	0.283
1358, 1363	0.551
1364/1	0.324
1364/2	0.142
1364/3	0.142
1366/1	0.097
1366/2	0.089
1367	0.154
1368	0.186
1369	0.057
योग 383	78.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2×350 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुरीकला, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.419 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1003	0.182
1004/4	0.607
1004/5	0.283
1004/7	0.797
1004/8	0.607
1004/9	0.405
1004/10	0.405
1006/1	0.202
1006/2	0.809
1007	0.615
1009/1 क	0.154
1009/1 ख	0.219
1009/1 ग	0.356
1009/1 द	0.077
1009/1 च, 1011	0.308
1009/1 घ	0.275
1009/2 क	0.085
1009/1 घ	0.085
1010	0.243
1012	0.008
1013	0.304
1711/2	0.170
1711/3	0.223
योग 23	7.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2×350 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : –

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.648 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277/2	0.202
277/3, 277/7, 338/1	0.624
277/4 क, 479/1	0.223
277/4 ख, 479/2	0.223
277/4 ग, 479/3	0.223
333	0.040
335/2	0.486
336/1	0.016
336/2	0.073
336/3	0.073

	(1)	(2)
	336/4	0.073
	336/5	0.160
	338/2, 339, 341/3	0.610
	340	0.372
	341/2	0.012
	341/5	0.089
	341/6	0.809
	341/7	0.854
	342	0.089
	343	0.057
	344, 345	0.340
योग	21	5.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2×350 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-पुरैनाखार, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.785 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	170	0.971
	175, 177	0.279
	179	0.178
	180	0.652
	183/2	0.567
	186/1	0.089
	188	0.057
	189/1	0.170
	200/1	0.397
	206	0.397
	208/1	1.582
	209/2, 216, 217, 218	0.194
	210/1	0.061
	210/2	0.065
	210/3	0.065
	210/4	0.061
योग	16	5.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2×350 मेगावाट पावर प्लांट हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2009

क्रमांक 6237/खनि/2009.—छ. ग. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला

बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का नाम	भूमि का प्रकार
बिलासपुर	मस्तूरी	मस्तूरी	565, 566, 570 एवं 571	4.31 एकड़	चूना पत्थर	निजी
बिलासपुर	मस्तूरी	मस्तूरी	594/1, 3, 4, 5, 6, 7, 595	3.86 एकड़	चूना पत्थर	निजी
बिलासपुर	मस्तूरी	मोहतरा	236/1 एवं 236/2	2.52 एकड़	चूना पत्थर	निजी

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th March 2009

No. 110/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Firulal Unjan, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Additional District & Sessions Judge.	Dhamtari	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	IV Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)
3.	Shri Arvind Kumar Sinha, IV Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Ambikapur	Mungeli	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Anand Kumar Singhal, IX Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Bilaspur	Mungeli	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Doctorlal Katakwar, II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Mungeli	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 6th March 2009

No. 112/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following candidate as mentioned in column No. (2), appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, is posted at the place in the capacity as shown against his name in column No. (4) of the table below with a direction to join his place of posting on or before 20-03-2009 positively.

The following candidate is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division as mentioned in the Column No. (3) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Santosh Sharma, S/o Shri Ishwar Dayal Sharma, Near Sharma Press, New Colony, Gudni, Dist.-Sehore (M. P.)	Bilaspur	IX Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Bilaspur.

Bilaspur, the 6th March 2009

No. 114/Confdl./2009/II-3-1/2008.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 20-03-2009 positively :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Agam Kumar Kashyap, S/o Shri Niranjan Kumar Verma, Shivaji Nagar Colony, Ramna (Bhu), Varanasi (U. P.)-221 005.	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur.
2.	Shri Shriniwas Tiwari, S/o Shyam Sunder Sharma Village-Kolha, Post-Dhousar, Dist.-Rewa (M. P.) 486 335.	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
3.	Shri Mohan Singh Korram, S/o Shri Sukhu Ram Korram, C/o Shri Mukesh Netam, New PMT Boys Hostel, Kanker (C. G.)-494 334.	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.

Bilaspur, the 7th March 2009

No. 117/Confdl./2009/II-2-99/2001.—On the application dated 02-02-2009 of Shri Hemant Kumar Agrawal, II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Menendragarh, District-Koriya requesting for Change of his home District, Permission is hereby accorded to change his home District from Raipur to Dhamtari with a direction that necessary changes be affected in all his records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVATAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 21st January 2009

No. 58/L. G./2009/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-02-2009 to 20-02-2009 and permission to prefix holidays of 14th & 15th February, 2009 and suffix holidays from 21st to 23rd February, 2009 along with the permission to leave headquarters from the evening of 13-02-2009 till the morning of 24-02-2009.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 64 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 21st January 2009

No. 59/L. G./2009/II-2-11/2004.—Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 16-02-2009 to 19-02-2009 and permission to prefix holidays of 14-02-2009 & 15-02-2009 along with permission to remain out of headquarters from 14-02-2009 to 19-02-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Uboweja, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.